न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 29/2016 **वर्ष 2016**

बउनवानीः— आम जनता ग्राम खवा जरियेः—

1. विजय सिंह पुत्र जुगराम गुर्जर निवासी ग्राम खवा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. रामचरण पुत्र श्री जगदीश गुर्जर निवासी ग्राम खवा, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. चिरंजी लाल पुत्र रामफूल जाति माली निवासी ग्राम खवा तह0 जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. रामनिवास पुत्र हजारी जाति माली निंवासी ग्राम खवा तहसील सवाईमाधोपुर
2. सुरेश चन्द पुत्र श्री बजरंग लाल ब्राहामण निवासी खिलचीपुर तह0 सवाईमाधोपुर
3. उदय चन्द पुत्र श्री बजरंग लाल ब्राहामण निवासी खिलचीपुर तह0 सवाईमाधोपुर
4. महेश चन्द पुत्र श्री बजरंग लाल ब्राहामण निवासी खिलचीपुर तह0 सवाईमाधोपुर
5. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिमि(उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर) सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व मिसल संख्या 3755/75 मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 द्वारा उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर जिला सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970)

उपस्थितः—1. श्री भौला शंकर शर्मा — वकील प्रार्थीगण
2. श्री विनोद कुमार अग्रवाल — वकील अप्रार्थी संख्या—1
3. श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल — वकील अप्रार्थीगण सं.2—4

—: निर्णय :— **दिनांक 18.3.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना प्रस्तुत पत्र होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील अप्राथीगण सुनी गयी एवं वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र आवंटन दिनांक 10.11.2075 जिसके जरिये अप्रार्थी संख्या 1 को ख0न0 19/6 रकबा 5 बीघा भूमि वाके

ग्राम खवा तहसील सवाईमाधोपुर में आवंटित की गयी थी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता को विक्रय कर दी जिनकी मृत्यु हो गयी है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को पक्षकार बनाया गया है। यह भी अंकित कि विवादित भूमि वरवक्त आवंटन व उससे पूर्व चरागाह भूमि थी जिसका आवंटन कानून विरूद्व है। चरागाह की किस्म भी परिवर्तित नही की गयी है केवल संवत् 2020–23 की जमाबन्दी में सिवायचक करने का नोट लगा हुआ है लेकिन यह नोट कैसे व किसके आदेश से लगाया गया उल्लेखित नही है। कानूनन उपजिला कलेक्टर या कलेक्टर चरागाह की किस्म परिवर्तित नही कर सकते है केवल सरकार ही किस्म परिवर्तन कर सकती है। ख0न0 19 की किस्म परिवर्तित करने का सरकार का कोई आदेश नही है। संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी प्रार्थी ने पेश की है जिसमे यह भूमि चरागाह दर्ज है। एवं चरागाह का आवंटन अवैध होना कथन किया एवं कथन के समर्थन में कानूनी दृष्टान्त आरआरडी 1998 पेज 334 पेश किया गया। जिसमे भूमि गैर मुमकिन आगोर व जोडपायतन दर्ज थी, उपजिला कलेक्टर ने किस्म परिवर्तित की अवैधानिक आवंटन माना गया। आरआरडी 1986 पेज 221 में नोटिफिकेशन लाकर अलवर जिलें में चरागाह भूमि आवंटित की गयी जिसको अवैध माना गया है। आरआरडी 1982 पेज 497(बी) में चरागाह भूमि आवंटन योग्य नही है। आरआरडी 1989 पेज 363(ए) चरागाह भूमि का अलोटमेंट नही हो सकता है। यह भी अंकित किया कि वरवक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन व्यक्ति नही था बल्कि उसके खाते में व उसके पिता के खाते से उसे प्राप्त होने वाली भूमि लगभग 8 बीघा होने का इन्द्राज रिपोर्ट पटवारी रिपोर्ट मे दर्ज है जो आवंटन फार्म में पटवारी ने किया है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने छिपाया व फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन से आवंटन प्राप्त किया है लिहाजा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1982 पेज 520, आरआरडी 1988 पेज 90 एवं आरआरडी 1988 पेज 48 जिसमे अगर प्रार्थी के पास या उसके पिता या दादा के पास भूमि है तो वह भूमिहीन व्यक्ति नही है। यह भी अंकित किया कि विवादित भूमि चरागाह है जो पशुओं के चरने ,उठने बैठने के काम आती है जिसके आवंटन से सभी आमजन ऐग्रीड है एवं एग्रीड परसन की परिभाषा मे आते है जिन्हे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार प्राप्त है वैसे भी नियम 14(4) मे यह स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर के समक्ष कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। इसमे कोई बाध्यता नही है। कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1982 पेज 604 जिसमें चरागाह भूमि के मामले में आमजन को एग्रीव्ड परसन माना गया है। यह भी तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र 14(4) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी जिला कलेक्टर द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर की लार्जर बैंच द्वारा आरआरडी 1990 पेज 465 मे इल्लीगल व वोईड अलोटमेंट आदेश को कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है उसमे कोई भी कानूनी बाध्यता नही है। कथन के समर्थन में आरआरडी 2002 पेज 1 राजस्थान हाईकोर्ट पेश किया जिसके अनुसार 30 वर्ष उपरान्त अलोटमेंट खारिज किया गया है। आरआरडी 1982 पेज 76 के अनुसार 14(4) का प्रार्थना पत्र कभी भी पेश किया जा सकता है एवं जिला कलेक्टर सो मोटो भी अवैध आवंटन को निरस्त कर सकते है। आआरडी 1991 पेज 218(सी) के अनुसार अगर आदेश इल्लीगल है

तो लिमिटेशन लागू नही होती है कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे किये गये आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 को निरस्त किये जाने बाबत वकील निगरानीकार द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रृटि नही है। क्योकि अप्रार्थी के पक्ष मे आवंटित की गयी भूमि ख0न0 19/6 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम खवा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–22 के अनुसार सिवायचक बारानी–3 मे परिवर्तित किये जाने का नोट अंकित किया हुआ है तथा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मे भी स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवंटित की जाने वाली भूमि ख0न0 19/6 बारानी–3 किस्म की है। जहॉ तक आवंटी भूमिहीन नही होने का प्रश्न है तो आवंटन फार्म पर प्रार्थी के पिता के नाम 8 बीघा भूमि बतायी गयी है जिसमे प्रार्थी का नोसनल शेयर 4 बीघा भूमि अंकित की गयी है। इस प्रकार प्रार्थी के हिस्से मे आनी वाली भूमि मात्र 4 बीघा होने के कारण आवंटी एक भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी मे आता है। आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही होने का कथन इसलिए सही नही है क्योकि आवंटन पत्रावली पर उपलब्ध कब्जा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 10.11.1975 को गवाह गिर्राज पुत्र जैनारायण मीना व जगन्या पुत्र मोरया मीना की उपस्थिति मे ख0न0 19/6 का कब्जा सम्भालाया गया है उक्त दोनो गवाहो के हस्ताक्षर कब्जा रिपोर्ट मोजूद है। यह कथन भी किया कि खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के बाद इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2016(4) पेज संख्या 3181 पेश किया जिसमे रामकरण बनाम राजस्थान राज्य मे स्पष्ट आदेश प्रतिपादित किया गया है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम,1970 नियम14(4)– आवंटन का निरस्तीकरण–परिसीमा अवधि–भूमि वर्ष 1975 में आवंटित की–आवंटन को वर्ष 1999 में अर्थात 24 वर्ष बाद चुनौती दी – अभिनिर्धारित दो दशको से भी अधिक अवधि के पश्चात आवंटन निरस्त करना अपोषणीय होगा– निरस्तीकरण आदेश अपास्त किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आवंटी एवं उसके पश्चात क्रेतागण को उक्त आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो चुका है तथा इतने वर्षो बाद केवल उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जो आवंटन सलाहकार समिति से तथ्य छिपाकर अर्थात मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया हो। किन्तु उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटी रामनिवास के पक्ष मे दिनांक 10.11.1975 को विधिवत किये आवंटन को यथावत रखे जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया।

वकील उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील निगरानीकार द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त

इस प्रकरण पर लागू नही होते है। क्योकि आवंटित भूमि ना ही गै0मु0 आगौर और ना ही गैर मुमकिन जोडपायतन ओर ना ही गै0मु0 चरागाह वरवक्त आवंटन थी। बल्कि उक्त भूमि कि किस्म मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–22 में बारानी–3 परिवर्तित की जा चुकी थी। जहॉ तक आवंटी भूमिहीन होने बाबत किये गये कथन की पृष्टि हेतु प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तो यथा आरआरडी 1982 पेज 520 मे आवंटी के दादा के नाम 236 बीघा भूमि व पिता के नाम 134 भूमि थी तथा आरआरडी 1982 पेज 522 जिसमे आवंटी के पिता के पास 36 बीघा 18 बिस्वा भूमि होने के कारण उक्त प्रकरण में आवंटी को भूमिहीन व्यक्ति नही माना गया है। आरआरडी 1988 पेज 48 में आवंटी के पिता के पास कुल 21 बीघा भूमि थी तथा आवंटि का नोशनल शेयर 11 बीघा 5 बिस्वा होने के कारण आवंटी को भूमिहीन नही माना गया है। इस प्रकार वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का गहनता से अवलोकन किये जाने पर यह पाया गया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागू नही होते है।

वकील प्रार्थी द्वारा आवंटी के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश विधि विरूद्व होने बाबत किये गये कथन की पृष्टि में ऐसा कोई विधिसम्मत साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्व होता हो कि आवंटी रामनिवास को दिनांक 10.11.1975 को किया गया आवंटन विधिविरूद्व है। क्योंकि वरवक्त आवंटन, आवंटित भूमि की किस्म बारानी–3 दर्ज थी। इस प्रकार वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजात व अधीनस्थ न्यायालय की मूल आवंटन मिसल के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को ही खारिज किया जा सकता है तथा आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात क्रेतागण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी रामनिवास के पक्ष किये गये आवंटन आदेश दिनांक 10.11.1975 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने के कारण प्रार्थीगणों की ओर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) को खारिज किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:12:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: